राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 15.04.2019 परिवाद संख्या 2014/04/311

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

पत्रावली में आज आदेश पारित किया गया।

आयोग द्वारा इस प्रकरण में आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 2017 में सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर यह निर्णित किया गया है कि एक मूक बधिर नाबालिग बालिका ने गर्भवती होकर एक बच्चे को जन्म दिया और इस घटना में प्रथम दृष्ट्या विद्यालय प्रशासन दोषी रहा। क्योंकि सम्पूर्ण तथ्य आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 2017 में अंकित होने के कारण से आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को इस आदेश में उल्लेखित किया जाना उचित समझा जाता है। अतः आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 2017 निम्न प्रकार से है :-

"राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या – 14/04/311 दिनांक 24.04.2017

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री प्रकाश टाटिया

प्रकरण गंभीर मानव अधिकार हनन का है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा दैनिक नवज्योति एवं राजस्थान पत्रिका में

प्रकाशित समाचार के आधार पर इस प्रकरण में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया था।

समाचार के अनुसार एक नाबालिग मूकबधिर बालिका के साथ बलात्कार के कारण से परिवार व स्कूल दोनों लापरवाही से उक्त गंभीर घटना की जानकारी किसी को नहीं दी गई और वह भी ऐसी हालत में जबकि बालिका राजस्थान मूकबधिर विद्यालय की कक्षा–5 की छात्रा थी। आयोग द्वारा इस गंभीर घटना के समाचार की कतरन प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा एवं जिला कलक्टर, बांसवाडा को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

निदेशालय, विशेष योग्य जन के प्रमुख शासन सचिव द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.03.2014 से निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06.03.2014 आयोग को प्रेषित की गई, रिपोर्ट का मुख्य भाग निम्न प्रकार से है " उक्च जांच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 24.01.2014 को पीडिता (.....नाम हटाया गया) को उसके पिता जी विद्यालय में छोडकर गये थे तथा दिनांक 25.01.2014 को रात्रि 09.30 बजे विद्यालय के कमरा नम्बर 8 में पीड़िता का प्रसव हो गया। प्रसव के समय विद्यालय में चौकीदार श्री कान्तिलाल मीणा एवं रंजना यादव भी उपस्थित थे। पीडिता छात्रा द्वारा वर्ष 2013–14 में दिनांक 19.07.2013 को विद्यालय में प्रवेश लिया गया तथा छात्रा कुल 314 (प्रातःएवं सायं) उपस्थिति दिवस में से मात्र 80 दिवस ही विद्यालय/छात्रावास में उपस्थित रही। विद्यालय में दिनांक 10.08. 2013 एवं 20.01.2014 को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उक्त दोनों दिवसों को पीडिता अनुपस्थित रही। विद्यालय में प्रसव के उपरांत

छात्रा को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती के दौरान नवजात शिशु की जान संकट में होने के कारण पीडिता एवं नवजात शिशु को महात्मा गांधी चिकित्सालय, उदयपुर में भर्ती करवाया गया। पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा एवं विद्यालय प्रशासन, बांसवाडा से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न है।'' उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि पीडित छात्रा वर्ष 2013–14 के सत्र में दिनां 19.07.2013 से विद्यालय की विद्यार्थी रही है। पीडिता कुल 314 (प्रातःएवं सायं) उपस्थिति दिवस में से मात्र 80 दिवस विद्यालय/छात्रावास में उपस्थित रही। विद्यालय प्रशासन द्वारा लम्बे समय तक छात्रा की अनुपस्थिति पर छात्रा के संरक्षक को बुलाया अथवा नहीं? यह तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

रिपोर्ट अनुसार विद्यालय में दिनांक 10 अगस्त,2013 एवं 20.01. 2014 को स्वास्थय परीक्षण किया गया परंतु उपरोक्त स्वास्थ्य परीक्षण में छात्रा अनुपस्थित रही है, यह एक अत्यंत खेद का विषय है। जांच रिपोर्ट के अनुसार पीडिता के स्वयं पिता ने पीडिता को विद्यालय में दिनांक 24.01.2014 को छोड़ा, पीडिता के पिता द्वारा पीडिता को विद्यालय/छात्रावास में विद्यालय प्रशासन के कर्मचारियों की जानकारी में पूर्ण गर्भ की स्थिति में छोडा था परंतु विद्यालय प्रशासन की ओर से नाबालिग बच्ची की ऐसी शारीरिक स्थिति के बाद भी पीडिता के पिता से उसे विद्यालय मे छोडने का न तो कारण पूछा गया और न ही आपत्ति की गई। यह ही नहीं पीडिता का प्रसव भी विद्यालय में रात्रि को 9.30 बजे कमरा नम्बर 08 में हुआ, यह असंभव है कि पीडिता को उसके पिता द्वारा दिनांक 24.01.2014 को यदि विद्यालय को सुपुर्द किया गया था तो विद्यालय की जानकारी में पीडिता की शारीरिक

और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी नहीं थी। पीडिता को क्या चिकित्सकीय सुविधाऐं दी गई? यह भी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। अन्य रिपोर्ट सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता एवं बाल संरक्षण इकाई, बांसवाडा जो आयोग को पत्र दिनांक 08.01.2014 के साथ पेश की गई है। उसके अनुसार पीडिता को विद्यालय में दिनांक 14.12.2013, 03 सितम्बर, 2013 एवं 09 जुलाई, 2013 को पीडिता के पिता द्वारा लाया गया। इस सब के बाद भी विद्यालय के रजिस्टर में पीडिता का आचरण लगातार अच्छा दर्ज किया हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से ऐसा प्रकट होता है कि राजकीय मूकबधिर विद्यालय, बांसवाडा में एक मूकबधिर बालिका के साथ में अत्यंत आपत्ति जनक व्यवहार रहा है । बार–बार तलब की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन दोषी व्यक्तियों को बचाने की चेष्टा करने हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट में आवश्यक तथ्य अंकित नहीं कर रहे है। इसी कारण से जिला कलक्टर, बांसवाडा की रिपोर्ट दिनांक 27.03.2014 में यह अंकित किया गया है कि ''पुत्री की शारीरिक स्थिति से अवगत होने के बाद भी पिता दिनांक 24.01.2014 को विद्यालय समय पश्चात सांय 03 बजें बालिका को स्वेटर एवं शाल उढ़ा कर चौकीदार को सौप कर चले गये'' और यह भी अंकित किया गया है कि ''छात्रा बहुत कम समय विद्यालय में रहीं जिससे अल्पआयु छात्रा के गर्भवती होने के कोई अनुमान नहीं लगा सके '' यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट के अनुसार पीडिता दिनांक 04.12.2013 को विद्यालय में अर्द्धवार्षिक परीक्षा देने आई एवं दिनांक 21.12.2013 को अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर घर पर अपने पिता के साथ चली गई। इस रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि

पीडिता दिनांक 04.12.2013 से 21.12.2013 तक विद्यालय छात्रावास में थी। यह तथ्य परोक्ष रूप से स्वीकार किया हुआ लगता है कि लगभग 9 माह की गर्भवती नाबालिग छात्रा विद्यालय/छात्रावास में थी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

आयोग की प्रथम दृष्टया राय में विद्यालय प्रशासन द्वारा मूक बधिर छात्रा के विद्यालय/छात्रावास में उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया । विद्यालय द्वारा पीडिता की अनुपस्थिति पर पीडिता के परिवार को सूचना नहीं दी गई एवं विद्यालय प्रशासन पीडिता का मार्गदर्शन करने में असफल रहा है और छात्रावास की छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी तरह लापरवाही रही है।

इस प्रकरण में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह पूरी तरह संदेहास्पद है।

1. यह असंभव है कि एक नाबालिग बालिका प्रसव के एक माह पूर्व सामान्य रूप से कक्षा/छात्रावास में व्यवहार कर सके।
2. यह भी असंभव है कि एक नाबालिग बच्ची की पूर्ण गर्भावस्था के बारे में किसी को भी पता नहीं चले।
3. यह भी विश्वसनीय कम प्रतीत होता है कि पीडिता के पिता द्वारा दिनांक 24.01.2014 को विद्यालय के समय के पश्चात 03 बजे स्वेटर एवं शाल उढा कर विद्यालय में छोड दिया गया हो और चौकीदार द्वारा बच्ची को छात्रावास में रख लिया गया हो।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त अत्यंत खेदजनक तथ्य यह है कि मूकबधिर बालिका अपराधी के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। यह सही है कि पीडिता को पीडित प्रतिकार अधिनियम के नियम 7 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाडा द्वारा विशेष प्रकरण मानते हुए 50 हजार रूपये देने का निर्णय किया गया है परंतु आयोग इस विषय पर और

अधिक विचार करना आवश्यक समझता है क्योकि मात्र 50 हजार रूपये से एक मूक बधिर बालिका जो कि गंभीर अपराध की शिकार हुई है जिस के एक बच्चा भी है उन सभी के लिए प्रथम दृष्टया 50 हजार रूपये की राशि महत्वहीन है। विद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही को देखते हुए एवं मूक बधिर छात्रावास की छात्रा के साथ आपराधिक घटना होने के कारण से यह विशेष रूप से राज्य की जिम्मेदारी बनती है।

आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, विशेष योग्य जन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जावे। प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाडा द्वारा इस प्रकरण में पीडित प्रतिकार अधिनियम के नियम 7 के आदेश की प्रतिलिपि आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें तथा करण प्रस्तुत करें कि पीडिता एवं उसके बच्चे को पूर्व में दी गई राशि के अलावा और हर्जाने की राशि क्यो नहीं दिलाई जावे ?

पत्रावली दिनांक 27.06.2017 को पेश की जावे।

-sd-
(जस्टिस प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष"

आयोग के उपर्युक्त आदेश दिनांक 24 अप्रैल, 2017 में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार तथा संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाडा द्वारा राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के नियम–7 के अन्तर्गत पारित आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने

हेतु तथा पीडिता व उसके बच्चे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाडा द्वारा दिलवाई गई राशि रूपये 50,000/- के अलावा और हर्जाने की राशि पीडिता व उसके बच्चे को क्यों नहीं दिलवाई जावे? इसका कारण पूंछा गया था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर तथा संयुक्त सचिव, निदेशालय, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर द्वारा पीडिता व उसके बच्चे को पूर्व में राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत दी गई राशि के अलावा और हर्जाने की राशि क्यों नहीं दिलवाई जावे, के सम्बन्ध में लगभग 02 वर्ष में भी अपना पक्ष नहीं रखा गया है। तथ्यों से प्रकट भी हो रहा है कि जिस प्रकार से विद्यालय प्रशासन द्वारा गम्भीर लापरवाही कर पीडिता व उसके बच्चे के मानव अधिकारों का हनन होने दिया गया है, पीडिता एवं उसके बच्चे को राज्य से और अधिक हर्जाना नहीं दिये जाने हेतु कोई कारण नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा एक नाबालिग बालिका, जो कि मूक-बधिर है, के सम्बन्ध में तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत कर यह तक बताने की चेष्टा की गई कि स्कूल की बच्ची, जिसे दिनांक 25 जनवरी, 2013 को रात्रि 08.00 बजे स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री कांतिलाल द्वारा दूरभाष पर कार्यवाहक संस्था प्रधान को सूचना दी कि, "उक्त छात्रा बीमार है व उसके पेट में दर्द है।" जबकि उक्त नाबालिग मूक-बधिर छात्रा लगभग पूरे समय की गर्भवती थी और उक्त छात्रा द्वारा अस्पताल में बच्चे

को जन्म दिया, उसके बारे में मात्र यह सूचना दी गई कि "उक्त छात्रा बीमार है व उसके पेट में दर्द है।" विद्यालय का यह कथन कि, दिनांक 24 जनवरी, 2014 को विद्यालय समय के पश्चात पीडिता के पिता पीडिता को विद्यालय में छोडकर गये और उसके अगले दिन, दिनांक 25 जनवरी, 2014 को ही पीडिता को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाया गया तथा स्कूल में किसी भी अध्यापक, कर्मचारी व अन्य छात्राओं को दिनांक 24 जनवरी, 2014 से 25 जनवरी, 2018 की रात्रि 08.00 बजे तक पीडिता की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

पीडिता की विशेष स्थिति का फायदा मुल्जिम को प्राप्त हुआ है व सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी/पुलिस द्वारा एफ.आर.संख्या 21/2014 दिनांक 28 दिसम्बर, 2014 को अदमपता मुल्जिम में कता कर दी गई। इस प्रकरण को पुनः खोला जाकर मुल्जिम की तलाश हेतु महिला पुलिस थाना, बांसवाडा की टीम भी गठित की गई, परन्तु स्थानीय पुलिस को मुल्जिमान का पता चलने की उम्मीद नजर नहीं आई और मुल्जिम की खोजबीन जारी रखते हुए पुनः नतीजा आदेश दिये जाने पर प्रकरण विचाराधीन है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय मूक-बधिर विद्यालय, लोधा, बांसवाडा की अत्यन्त गम्भीर लापरवाही से पीडिता व उसके बच्चे के मानव अधिकारों के हनन के कारण पीडिता को राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाडा दिलवाई गई राशि रूपये

50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त, पीडिता स्वयं के लिए राशि रूपये 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा पीडिता का बच्चा राशि रूपये 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) प्राप्त करने का अधिकारी है। पीडिता अगर बालिग हो गई हो तो उक्त राशि रूपये 2,50,000/– पीडिता का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर खाते में जमा करवाई जावे एवं नाबालिग होने की स्थिति में राशि रूपये 2,50,000/– राष्ट्रीयकृत बैंक में पीडिता के नाम फिक्स्ड डिपोजिट कराई जावे, जो पीडिता बालिग होने पर प्राप्त कर सकेगी।

पीडिता के बच्चे/बच्ची के नाम पर उक्त राशि रूपये 2,50,000/– राष्ट्रीयकृत बैंक में पीडिता की बच्चा/बच्ची के नाम फिक्स्ड डिपोजिट कराई जावे, जो बालिग होने पर प्राप्त कर सकेगा/सकेगी। इस अनुशंषा के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि राज्य सरकार को जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर व संयुक्त सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश की प्रतिलिपि पीडिता के पिता को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष